

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 221/2022**

**Petitioner**

Vimal Kol & Ors.

**Versus**

**Respondent**

State of Madhya Pradesh

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexures</b>	<b>Page No.</b>
1.	Reply on behalf of Respondent No. 5, Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Authority		02-04
2.	Affidavit		05
3.	EC dated 02.02.2022	<b>R-1</b>	06-15
4.	EC dated 17.02.2022	<b>R-2</b>	16-26
5.	Copy of Minute of 533 <sup>rd</sup> Meeting dated 14.12.2021	<b>R-3</b>	27-40
6.	Copy of Mining Lease, Approved Mining Plan, NOC from Forest Department and NOC from Gram Panchayat	<b>R-4</b> <b>(COLLY)</b>	41-57
7.	Vakalatnama		58

**Date: 07.01.2023**

**MPSEIAA**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel**  
**Adv. Parul Bhadoria**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 221/2022**

**Petitioner**

Vimal Kol & Ors.

**Versus**

**Respondents**

State of Madhya Pradesh & Ors.

**REPLY ON BEHALF OF MADHYA PRADESH STATE ENVIRONMENT**  
**IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY [MP-SEIAA]**

It is most humbly submitted that:

1. That, the answering respondent, SEIAA is the authority constituted by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environmental Protection Act 1986 and in pursuance of the Government of India Notification S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006 to recommend and decide the applications filed by the project proponents for obtaining Environmental Clearance for their projects.
2. The present letter petition pertains to alleged illegal sand mining in River Jhanpar. It is stated that the alleged sand mining from said river was permitted on the basis of NOC resolution allegedly passed by Gram Panchayat Barach, Tehsil Jai Singh Nagar, District Shahdol, Madhya Pradesh but no such resolution had been passed by the said Panchayat. The alleged illegal sand mining has resulted in soil erosion, damage to the roads, depletion of ground water, damage to agricultural crops and deforestation in Sanjay National Park which is about 4 km from Jhanpar River.
3. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 25.04.2022 directed to submit a Factual Report by the Joint

Committee comprising of SEIAA, State of Madhya Pradesh, MPPCB, Director, Sanjay National Park and Collector, District Shahdol and the same was constituted and inspection was conducted on 07.06.2022 and the report was submitted before the Hon'ble Tribunal on 06.07.2022.

4. At the onset it is pertinent to mention that the Answering Respondent has issued two Environmental Clearances (hereinafter referred to as “EC”) in the village of Barachh, District Shahdol, and the details of the same are as follows:
  - a. EC dated 02.02.2022 issued by the answering respondent in favor of one M/s Vanshika Construction (hereinafter referred as “**Project Proponent**”), wherein EC was granted for a Production Capacity of 23,640 sq. m. per annum over an area of 4.734 ha. at Khasara No. 2524, Village – Barachh-1, Tehsil – Jaisinghnagar, District – Shahdol (hereinafter referred as “**Barachh-1**”). A copy of EC dated 02.02.2022 is attached herewith as **Annexure R-1**.
  - b. EC dated 17.01.2022 issued by the answering respondent in favor of the Project Proponent, wherein EC was granted for a Production Capacity of 48,000 sq. m. per annum over an area of 8 ha. at Khasara No. 2126/1, 2490, 2491, Village – Barachh-2, Tehsil – Jaisinghnagar, District – Shahdol (hereinafter referred as “**Barachh-2**”). A copy of EC dated 02.02.2022 is attached herewith as **Annexure R-2**.
5. That the aforementioned ECs issued by the Answering Respondent, i.e., Barachh-1 and Barachh-2, were in accordance of the recommendation of the State Environment Appraisal Committee (hereinafter referred as “SEAC”), in 533<sup>rd</sup> Meeting dated 14.12.2021. The relevant extract from the Minute of 533<sup>rd</sup> Meeting dated 14.12.2021 is attached herewith as **Annexure R-3**.

6. That the Project Proponent submitted the application for Environmental Clearance vide application numbers SIA/MP/MIN/56331/2020 dated 02.12.2021 and SIA/MP/MIN/56332/2020 dated 02.12.2020, wherein the Project Proponent submitted all the requisite documents, including Mining Lease, Approved Mining Plan, NOC from Forest Department and NOC from Gram Panchayat. A copy of Mining Lease, Approved Mining Plan, NOC from Forest Department and NOC from Gram Panchayat is attached herewith as **Annexure R-4 (COLLY)**.
7. Therefore, it is apparent from the face of the record, from the aforementioned facts that ECs issued by the Answering Respondent for Sand Mining in Village Barachh, District Shahdol is in accordance to Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 and that there is no irregularity or illegality while issuing EC by the Answering Respondent.
8. It is pertinent to note that the answering respondent is not a competent authority to deal with the issue of illegal sand mining. The concerned departments will be in a better position to submit on the said issue.
9. Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid reply on record. An Affidavit in support is filed herewith.

**Date: 07.01.2023**

**Place: Bhopal**

**MPSEIAA**



**Through Counsel**

**Adv. Parul Bhadoria**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI**

**Original Application No. 221 Of 2022**

**IN THE MATTER OF:**

**Petitioner**

Vimal Kol & Ors

**Versus**

**Respondents**

State of M.P.


**AFFIDAVIT**

I, Sanjay Pandey, S/o Shri B.D. Pandey ~~Asst~~ Engineer and Officer-in-Charge, office at EPCO, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh 462016 do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Authority in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing a Reply in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact

That the contents of the Reply are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.

Sanjay Pandey  
**DEPONENT**



S.No. 145 / 2023  
Dated 15/03/2023

**VERIFICATION**

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on this 15 Day of March 2023 at Bhopal (MP)

Sanjay  
**IDENTIFIED BY ME**  
Sanjay Bhadoriya (Adv)  
609, U.C.T. lawyers chambers  
Arera Hills Bhopal (M.P.)

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE  
ME BY THE WITHIN NAME  
Sanjay  
15/03/2023  
**SUNITA BHADORIYA**  
**NOTARY**  
**BHOPAL (M.P.) INDIA**

Sanjay Pandey  
**DEPONENT**

ENVIRONMENTAL  
CLEARANCE

**Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Issued by the State Environment Impact Assessment  
Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)**

To,

The Authorised Person  
MS. VANSHIKA CONSTRUCTION, AUTHORIZED PERSON- SHRI  
RAMLAL JHARIYA  
Devri, Rajmarg, Nasinghpur, MP -465669

**Subject:** Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/56331/2020 dated 02 Dec 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

- |  |   |
|--|---|
| 1. EC Identification No.                   | EC22B001MP151580  |
| 2. File No.                                | 7698/2020   |
| 3. Project Type                            | New   |
| 4. Category                                | B1  |
| 5. Project/Activity including Schedule No. | 1(a) Mining of minerals   |
| 6. Name of Project                         | Barachh-1 River Sand Mine   |
| 7. Name of Company/Organization            | MS. VANSHIKA CONSTRUCTION,<br>AUTHORIZED PERSON- SHRI RAMLAL<br>JHARIYA |
| 8. Location of Project                     | Madhya Pradesh  |
| 9. TOR Date                                | 06 Oct 2020   |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 02/02/2022

(e-signed)  
Shriman Shukla  
Member Secretary  
SEIAA - (Madhya Pradesh)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.*

*This is a computer generated cover page.*

PARIVESH

*(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,  
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)*



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/56331/2020 - प्रकरण क्र. 7698/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661 द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), एरिया 4.734 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 23,640 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 2524, ग्राम बराछ-1, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/56331/2020 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 18.09.2020) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण पत्र क्र. 2598 दिनांक 14.09.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितिकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 23°57'24.22" से 23°57'45.43" और देशांतर 81°26'40.93" से 81°26'38.55" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 10.03.2021 को ग्राम पंचायत भवन, ग्राम बराछ-1, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल में अपर कलेक्टर, शहडोल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 699वीं बैठक दिनांक 29.12.2021 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 533वीं बैठक दिनांक 14.12.2021 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661 द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), एरिया 4.734 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 23640 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 2524, ग्राम बराछ-1, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ. विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय खनिज साधन विभाग, भोपाल आदेश क्रं. 3226/132/2020/12/1 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त खदान का दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
15. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 6000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, जामुन, कदम आदि का रोपण नदी किनारे, पहुंच मार्ग एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत विद्यालय, तालाब, नहर, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बराछ के शासकीय हाई सेकेण्ड्री स्कूल में शौचालय (स्त्री - पुरुष) का निर्माण किया जाये एवं स्टेशनरी व शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाये।
- ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बोर बैल कराया जाये एवं 02 हैण्डपम्प स्थापित किये जायें।
- ग्राम बराछ में खेल मैदान का विकास किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

### (अ) खनन के पूर्व चरण में

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का खनन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाएगा एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार किया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके की खनन पट्टे में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टे का सीमांकन दिए गए कॉर्डिनेट्स के अनुसार स्पष्ट रूप से साइट पर पिल्लर लगाकर किया जाये।
27. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेतु स्थापित किया जाये।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया जाये।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
30. यदि किसी पेड़ को काटा या उखाड़ा जाना प्रस्तावित है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये।
31. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
32. परिवहन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाये। और इसे खदान के संचालन से पहले बनाया जाये।
33. परियोजना प्रस्तावक संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/एनओसी प्राप्त की जाये।

### (ब) खनन के परिचालन चरण में

34. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जाये।
35. खदान स्थल पर किसी मध्यवर्ती स्टैकिंग की अनुमति नहीं होगी।
36. खदान में ओवरहेड रिप्रिंकलर की व्यवस्था की जाये।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम को खनन कार्य के साथ-साथ किया जायेगा तथा पेड़ - पौधों का रखरखाव तीन साल तक कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित किया जायेगा। प्रारंभ में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से साइट की सीमा पर पहले एक साल में सघन वृक्षारोपण (तीन पंक्तियों में) कर विकसित किया जाये।
38. परियोजना क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वृक्षारोपण में बारहमासी, हरे रहने वाले, घने -छावदार, तेज बढ़ने वाली, प्रजातियों के कम से कम 2.5 फीट लंबे पौधों का उपयोग किया जाये। प्रस्तावित लैंडस्केप प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार, कम से कम 6,000 पेड़ नदी के किनारे और ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल के आवगमन की सड़क और परिवहन मार्ग के किनारे लगाए जाये।
39. रेत का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाये।
40. रेत का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल को कम करने के लिये ओवर हेड स्पिंकलर की व्यवस्था की जाये एवं ट्रांसपोर्ट रोड पर धूल को कम करने के लिए टैंकर उपलब्ध कराए जाये ।
42. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त और प्रस्तुत गतिविधियाँ की जाएंगी। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से कोई भी आवश्यकता के आधार पर और उचित गतिविधि की जा सकती है।
43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित सावधानी बरती जाये ताकि खनन कार्यों के दौरान किसी भी वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाये।
45. खनन कार्यों के दौरान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व्यक्तिगत जैसे हेलमेट, ईयर मफ आदि प्रदान किया जाये।

### (स) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में

46. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 26.83 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु. 1.47 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।
47. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।
48. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये और ये विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में प्रदान किए जाये।

### ब. मानक शर्तें

1. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
2. माइनिंग लीज की बाउंड्री को उचित रूप से फेंसिंग के साथ चिन्हित किया जाएगा।
3. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
  - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
  - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
  - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
4. नदी तल में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
5. पट्टा क्षेत्र से लोडिंग स्थल तक रेत का परिवहन केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियां के माध्यम से किया जायेगा एवं भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
6. केवल आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले GPS सहित पंजीकृत वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए किया जाये।

7. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर द्वारा की जायेगी ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की इकोलॉजी प्रभावित न हो।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां खनन कार्य किया जाता है वहां की नदी तल/ बेसिन क्षेत्र में गौण खनिज के उत्खनन के कारण अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
9. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (turbidity), वेग और प्रवाह पैटर्न किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
11. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जाये।
12. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
13. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये तथा गाँव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
14. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
16. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
17. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।
19. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
20. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
22. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
23. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।

24. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।
25. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (Reduce level) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
26. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
27. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं च्च प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाये।
28. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी एवं पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं Down-stream से कम से कम 250 मीटर up-stream साइड से और 500 मीटर Down-stream साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जायें।
29. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला, नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जाये।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।
31. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज से सटी नदी के किनारे, खनिज निकासी मार्ग तथा गाँव के सामान्य क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा एवं कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित पांच साल तक रखरखाव करेगा। परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण और कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के वार्षिक विवरण की जानकारी एक लॉग बुक में रखेगा। साथ ही पर्याप्त सावधानी बरती जाये जिससे खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
33. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर

लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

34. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खदान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधियों का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
35. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
36. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालयीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए III दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चरागाह भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनाये जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
37. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z-11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए Mitigative उपायों का पालन करेगा।
38. NGT (CZ) के आदेश क्र. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
- ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
- iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
- iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
- v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
- vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी।
- vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
- viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

39. नदी के किनारों पर स्थिर करने के लिए खस रिलिफ और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
40. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
41. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातियाँ जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियों रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाये।
42. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएँ। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनकी जीवित दर (survival) 80 प्रतिशत तक हो।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)
5. संभागीय वन अधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shri Shriman Shukla  
Member Secretary

Date: 2/2/2022 6:45:05 PM

ENVIRONMENTAL  
CLEARANCE

**Government of India**  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
**(Issued by the State Environment Impact Assessment**  
**Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)**

To,

The Authorized Person  
 MS. VANSHIKA CONSTRUCTION, AUTHORIZED PERSON- SHRI  
 RAMLAL JHARIYA  
 Devri Rajmarg, Narsimhapur, MP -487731

**Subject:** Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity  
 under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)  
 in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number  
 SIA/MP/MIN/56332/2020 dated 02 Dec 2021. The particulars of the environmental  
 clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC22B001MP152065
2. File No.	7697/2020
3. Project Type	New
4. Category	B1
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Barachh-2 River Sand Mine
7. Name of Company/Organization	MS. VANSHIKA CONSTRUCTION, AUTHORIZED PERSON- SHRI RAMLAL JHARIYA
8. Location of Project	Madhya Pradesh
9. TOR Date	06 Oct 2020

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page  
 no 2 onwards.

Date: 17/01/2022

(e-signed)  
 Shriman Shukla  
 Member Secretary  
 SEIAA - (Madhya Pradesh)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification  
 number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification  
 number in all future correspondence.*

*This is a computer generated cover page.*



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/56332/2020 - प्रकरण क्र. 7697/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 8.0 हेक्टेयर, खसरा 2126/1, 2490, 2491, ग्राम बराछ-2, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/56332/2020 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 18.09.2020) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया ।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल के एकल प्रमाण पत्र क्र. 2595 दिनांक 14.09.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 23°57'44.22" से 23°58'6.41" और देशांतर 81°26'36.62" से 81°26'35.26" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 10.03.2021 को ग्राम पंचायत भवन, ग्राम बराछ-2, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल में अपर कलेक्टर, शहडोल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार/आर.क्यू.पी. द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 699वीं बैठक दिनांक 29.12.2021 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 533वीं बैठक दिनांक 14.12.2021 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661 द्वारा रेत खदान, एरिया 8.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 2126/1, 2490, 2491, ग्राम बराछ-2, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## (अ) विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय खनिज साधन विभाग, भोपाल आदेश क्रं. 3224/132/2020/12/1 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त खदान का दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
15. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 12000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, जामुन, कदम आदि का रोपण नदी किनारे, पहुंच मार्ग एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत विद्यालय, तालाब, नहर, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बराछ के शासकीय स्कूल में एक बोर बैल एवं ओवरहेड टैंक की स्थापना पानी की सप्लाई हेतु सम्पूर्ण फिटिंग के साथ की जाये।
- ग्राम बराछ के शासकीय स्कूल एवं ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर व प्रिन्टर मुहैया कराया जाये।
- ग्राम बराछ में ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बोर बैल कराया जायें।
- ग्राम बराछ में गौशाला निर्माण एवं उसका उचित रखरखाव किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

### (अ) खनन के पूर्व चरण में

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का खनन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाएगा एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार किया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके की खनन पट्टे में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टे का सीमांकन दिए गए कॉर्डिनेट्स के अनुसार स्पष्ट रूप से साइट पर किया जाये।
27. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेतु स्थापित किया जाये।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया गया जाये।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
30. यदि किसी पेड़ को काटा या उखाड़ा जाना प्रस्तावित है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये।
31. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
32. परिवहन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाये। और इसे खदान के संचालन से पहले बनाया जाये।
33. परियोजना प्रस्तावक संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/एनओसी प्राप्त की जाये।

### (ब) खनन के परिचालन चरण में

34. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जाये।
35. खदान स्थल पर किसी मध्यवर्ती स्टैकिंग की अनुमति नहीं होगी।
36. खदान में ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम को खनन कार्य के साथ-साथ किया जायेगा तथा पेड़ - पौधों का रखरखाव तीन साल तक कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित किया जायेगा। प्रारंभ में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से साइट की सीमा पर पहले एक साल में सघन वृक्षारोपण (तीन पंक्तियों में) कर विकसित किया जाये।
38. परियोजना क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वृक्षारोपण में बारहमासी, हरे रेहनेवाले, घने -छावदार, तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के कम से कम 2.5 फीट लंबे पौधों का उपयोग किया जाये। प्रस्तावित लैंडस्केप प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार, कम से कम 6,000 पेड़ नदी के किनारे और ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल के आवगमन की सड़क और परिवहन मार्ग के किनारे लगाए जाये।
39. रेत का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाये।
40. रेत का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल को कम करने के लिये ओवर हेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये एवं ट्रांसपोर्ट रोड पर धूल को कम करने के लिए टैंकर उपलब्ध कराए जाये ।
42. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त और प्रस्तुत गतिविधियाँ की जाएंगी। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से कोई भी आवश्यकता के आधार पर और उचित गतिविधि की जा सकती है।
43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित सावधानी बरती जाये ताकि खनन कार्यों के दौरान किसी भी वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाये।
45. एक अलग बैंक खाते के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निधि निर्धारित की जाये।
46. खनन कार्यों के दौरान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, ईयर मफ आदि प्रदान किया जाये।

### (स) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में

47. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 34.02 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु. 1.81 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।
48. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।
49. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये और ये विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में प्रदान किए जाये ।

### ब. मानक शर्तें

1. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
2. माइनिंग लीज की बाउंड्री को उचित रूप से फेंसिंग के साथ चिन्हित किया जाएगा।
3. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
  - खदान के मालिक का नाम, संपर्क विवरण आदि।
  - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
  - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
4. नदी तल में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
5. पट्टा क्षेत्र से लोडिंग स्थल तक रेत का परिवहन केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियां के माध्यम से किया जायेगा एवं भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

6. केवल आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले GPS सहित पंजीकृत वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए किया जाये।
7. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर द्वारा की जायेगी ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की इकोलॉजी प्रभावित न हो।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां खनन कार्य किया जाता है वहां की नदी तल/बेसिन क्षेत्र में गौण खनिज के उत्खनन के कारण अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
9. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (turbidity), वेग और प्रवाह पैटर्न किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
11. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जाये।
12. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
13. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
14. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
16. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
17. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
19. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
20. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
22. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

23. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
24. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।
25. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (Reduce level) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
26. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड स्प्रींकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रींकलर की व्यवस्था की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
27. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं PUC प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाये।
28. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी एवं पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं Down-stream से, कम से कम 250 मीटर up-stream साइड से और 500 मीटर Down-stream साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जायें।
29. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला धनालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जाये।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।
31. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज से सटी नदी के किनारे, खनिज निकासी मार्ग तथा गाँव के सामान्य क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा एवं कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित पांच साल तक रखरखाव करेगा। परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण और कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के वार्षिक विवरण की जानकारी एक लॉग बुक में रखेगा। साथ ही पर्याप्त सावधानी बरती जाये जिससे खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।

33. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
34. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खदान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधियों का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
35. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
36. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए III दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चरागाह भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनाये जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
37. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z-11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए Mitigative उपायों का पालन करगा।
38. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
- लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
  - जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
  - कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
  - रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
  - रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
  - खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी।
  - खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।

- viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।
39. नदी के किनारों पर स्थिर करने के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य, अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
40. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
41. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियों रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाये।
42. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Medical Garden) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनकी जीवित दर (survival) 80 प्रतिशत तक हो




(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी



Signature Not Verified

Digitally signed by Shri Shriman Shukla

Member Secretary

Date: 1/17/2022 12:59:40 PM

	Drinking Water facilities in Middle School & Gram Panchayat Bhawan	2 No.	50,000/-
3 <sup>rd</sup> Year	Bore Well shall be done in Gram Panchayat area as per recommended by Gram Panchayat	1 No.	1,00,000/-
	2 No of Hand Pump drill in Village near by existing bore well	2 No.	2,00,000/-
Total			9,00,000/-

3. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
4. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

**3. Case No. – 7697/2020 M/s Vanshika Construction, Authorized Person, Shri Ramlal Jhariya, Deori Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487661 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (48,000 cum per annum) (Khasra No. 2126/1, 2490, 2491), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP). [Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad(Telangana)].**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2126/1, 2490, 2491), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP) 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office (Ekal Praman-Patr) letter no. 2595 dated: 14/09/2020 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 462<sup>nd</sup> SEAC dated 30/09/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Shri Manish Rao Kadam Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad(Telangana). & PP Shri Ramlal Jhariya. PP stated that this is a case of river sand mining on Jhanpar River which is a tributary of Banas River. During presentation.

- The mine lease of river sand mine on Jhapar River is spread over an area of 8.00 ha in Village –Barachh, Tehsil- Jaisingh nagar, Dist- Shahdol, State - Madhya Pradesh.
- The Letter of Intent for the lease has been granted to Project Proponent Vanshika Construction by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal vide letter no. kramank/ret/2020/506 Bhopal, dated -28/01/2020 as per the provisions of M.P. State Sand Mining Policy – 2019.
- Mine Plan and Replenishment Study Plan has been approved by Collector, Shahdol, Madhya Pradesh vide letter no. Kramank 19/Khanij/2020/2329 Shahdol dated 13/08/2020 for a production capacity of 48,000m<sup>3</sup> per year.
- Cluster Certificate and NOC from Forest Department has been obtained for site vide letter no.kramank-19/03khanij/2020/2598 Shahdol, dated 14/9/2020.
- Opencast Semi-mechanised and manually method for mining by scrapping in 1.00 m layers and loading on trucks/dumper will be adopted. No drilling & blasting is needed as the project is for sand mining.
- The mine site is a non-agricultural government land. The minerals will be transported to specific destination through tarpaulin covered trucks/dumpers by the purchaser..

### **Replenishment Capacity- Jhapar River**

- Jhanpar river is a tributary of Banas river. It originates somewhere near Biajaha Village. It takes a northern course for about 32 km through Sedimentary terrain primarily limestone & Dolomite, While Shale and Sandstone in the later stage. The flow direction in regional scale follows south west to North east till the river meets and disappeared in Banas River at Bhamraha village of Shahdol District.
- The river is about 32 km long. It is a rich source of sands and other associated aggregates as after entering into Banas river, sedimentary rocks of Vindhyan and Gondwanas, carries and deposits a good load. Moreover, due to lithology of the course, the quality of sand is also good one.
- Shahdol district lies only 2 Group of Formation one is Gondwana Supergroup while other is Mahakoshal group of Rocks laying over Granitic Gneisses and Granite Basement.

- The Catchment area of Janpar River is 204.66 km<sup>2</sup>. On the basis of the geology and formations like shale, varieties of sandstone and Conglomerate, the catchment area is much favorable to generate large quantity of sand.
- The Average rainfall of Shahdol district is 1131.4 mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.
- Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields. On the basis of Dandy Bolton formula with 50 fold the Sediment Yield is 5,68,000 M. tons/Year.
- Hence i t is concluded that the annual production capacity (48,000 cum in 8.00 ha) which will be excavated at the QL area will be replenished easily during monsoon season.

### **Plantation**

Afforestation will be taken up in the along River Bank and Approach road of, Gram Panchayat Bhawan, Aanganbadi, School as per submitted scheme. After presentation and deliberation,

After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

1. PP commitment that water supply will be done through Panchayat after their approval.
2. PP commitment that mining shall be done up to the maximum depth of 01 meters as per the issue raised in public hearing.
3. Proposal for plantation on evacuation road where from evacuation of sand is proposed.
4. Revise plantation scheme & species with location –wise bifurcation as suggested by the committee.
5. EMP incorporating expenditure to be incurred on development sand evacuation route.
6. PP shall propose physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).

PP vide their letter dated 14.12.2021 submitted query reply which was placed before the committee which was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (48,000 cum per annum) (Khasra No. 2126/1, 2490, 2491), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP).subject to the following special conditions and as per Annexure-B:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars.
3. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
4. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
5. PP will also carry out fencing all around the lease area.
6. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
7. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
8. Transportation road shall be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
9. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

1. Mining shall be carried out as per approved mine plan.
2. No intermediate stacking is permitted at the mine site.
3. Overhead sprinklers shall be provided in mine.
4. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for three years including casualty replacement. Initially,

- dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection in one year only.
5. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2.5 feet height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 12,000 trees shall be planted on along River Bank and Approach road of Gram Panchayat Bhawan, Aanganbadi, School and along the transportation route.
  6. Transportation of sand shall be done in covered vehicles.
  7. Transportation of sand shall not be carried out through forest area.
  8. For dust suppression over head sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
  9. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftmen of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
  10. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
  11. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
  12. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
  13. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

1. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 34.02 Lakh is proposed and Rs.1.81 Lakh /year as recurring expenses.
2. Under CER activity, following activities are proposed based public hearing issues.

Year	Description	Physical Target	Financial Target
1 <sup>st</sup> Year	<b>Maintenance of Village Road</b>	<b>500 sqm</b>	<b>1,50,000/-</b>
	Bore-well shall be done in village Higher Secondary School Building supplied by overhead tank & established overhead tank in school Building with complete fitting	1 No.	2,00,000/-
2 <sup>nd</sup> Year	Provide Computer & Printer for Higher Secondary School Barachh & Gram Panchayat	2 no	2,00,000/-
	Medical Camp Organized in village Barachh	1 time in year	1,00,000/-

3 <sup>rd</sup> Year	Bore Well shall be done in Gram Panchayat area as per recommended by Gram Panchayat	1 No.	1,00,000/-
	Development & Maintenance of Cattle House	1 No.	1,00,000/-
<b>Total</b>			<b>8,50,000.00</b>

3. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  4. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
4. **Case No. – 7698/2020 M/s Vanshika Construction, Authorized Person, Shri Ramlal Jhariya, Deori Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487661 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.734 ha. (23,640 cum per annum) (Khasra No. 2524), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP). ). [Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad(Telangana)].**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2524), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP) 4.734 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office (Ekal Praman-Patr) letter no. 2598 dated: 14/09/2020 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 462<sup>nd</sup> SEAC dated 30/09/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Shri Manish Rao Kadam Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad(Telangana). & PP Shri Ramlal Jhariya. PP stated that this is a case of river sand mining on Jhanpar River which is a tributary of Banas River.

During presentation PP has submitted that:

- The mine lease of river sand mine on Jhapar River is spread over an area of 4.734 ha in Village –Barachh, Tehsil- Jaisingh Nagar, Dist- Shahdol, State - Madhya Pradesh.
- The Letter of Intent for the lease has been granted to Project Proponent Vanshika Construction by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal vide letter no. kramank/ret/2020/506 Bhopal, dated -28/01/2020 as per the provisions of M.P. State Sand Mining Policy – 2019.
- Mine Plan and Replenishment Study Plan has been approved by Collector, Shahdol, Madhya Pradesh vide letter no. Kramank 19/Khanij/2020/2326 Shahdol dated 13/08/2020 for a production capacity of 23640 m<sup>3</sup> per year.
- Cluster Certificate and NOC from Forest Department has been obtained for site vide letter no.kramank-19/Khanij/2020/2598 Shahdol, dated 14/9/2020.
- Opencast Semi-mechanized and manually method for mining by scrapping in 1.0 m layers and loading on trucks/dumper will be adopted. No drilling & blasting is needed as the project is for sand mining.
- The mine site is a non-agricultural government land. The minerals will be transported to specific destination through tarpaulin covered trucks/dumpers by the purchaser.

### **Replenishment Capacity- Jhapar River**

- Jhanpar river is a tributary of Banas river. It originates somewhere near Biajaha Village. It takes a northern course for about 32 km through Sedimentary terrain primarily limestone & Dolomite, While Shale and Sandstone in the later stage. The flow direction in regional scale follows south west to North east till the river meets and disappeared in Banas River at Bhamraha village of Shahdol District.
- The river is about 32 km long. It is a rich source of sands and other associated aggregates as after entering into Banas river, sedimentary rocks of Vindhyan and Gondwanas, carries and deposits a good load. Moreover, due to lithology of the course, the quality of sand is also good one.
- Shahdol district lies only 2 Group of Formation one is Gondwana Supergroup while other is Mahakoshal group of Rocks laying over Granitic Gneisses and Granite Basement.
- The Catchment area of Janpar River is 204.66 km<sup>2</sup>. On the basis of the geology and formations like shale, varieties of sandstone and Conglomerate, the catchment area is much favorable to generate large quantity of sand.

- The Average rainfall of Shahdol district is 1131.4 mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.
- Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields. On the basis of Dandy Bolton formula with 50 fold the Sediment Yield is 5,68,000 M. tons/Year.
- Hence i t is concluded that the annual production capacity (23,640 cum in 4.734 ha) which will be excavated at the QL area will be replenished easily during monsoon season.

### **Plantation**

Afforestation will be taken up in the along River Bank and Approach road of, Gram Panchayat Bhawan, Aanganbadi, School as per submitted scheme. After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

1. PP commitment that water supply will be done through Panchayat after their approval.
2. PP commitment that frequent water sprinkling will be carried out during sand evacuation to avoid fugitive emissions as per the issue rose in public hearing.
3. Proposal for plantation on evacuation road where from evacuation of sand is proposed.
4. Revise plantation scheme & species with location –wise bifurcation as suggested by the committee.
5. EMP incorporating expenditure to be incurred on development sand evacuation route.
6. PP shall propose physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).

PP vide their letter dated 14.12.2021 submitted query reply which was placed before the committee which was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC

for Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.734 ha. (23,640 cum per annum) (Khasra No. 2524), Village - Barachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP) subject to the following special conditions and as per Annexure-B:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
3. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
4. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
5. PP will also carry out fencing all around the lease area.
6. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
7. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
8. Transportation road shall be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
9. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

1. Mining shall be carried out as per approved mine plan.
  1. No intermediate stacking is permitted at the mine site.
  2. Overhead sprinklers shall be provided in mine.
  3. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for three years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection in one year only.
  4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2.5 feet height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the

- landscape plan & EMP a minimum of 6,000 trees shall be planted on along River Bank and Approach road of Gram Panchayat Bhawan, Aanganbadi, School and along the transportation route.
5. Transportation of sand shall be done in covered vehicles.
  6. Transportation of sand shall not be carried out through forest area.
  7. For dust suppression over head sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
  8. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftmen of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
  9. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
  10. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
  11. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
  12. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

1. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 26.83 Lakh is proposed and Rs.1.47 Lakh /year as recurring expenses.
2. Under CER activity, following activities are proposed based public hearing issues.

Year	Description	Physical Target	Financial Target
1 <sup>st</sup> Year	<b>Maintenance of Village Road</b>	<b>500 sqm</b>	<b>1,50,000/-</b>
	Construction of Toilet In Higher Secondary School Barachh (1 male & 1 Female)	2 no.	1,00,000/-
2 <sup>nd</sup> Year	Bore Well shall be done in Gram Panchayat area	2 no	2,00,000/-
	Development of Play Ground in village Barachh	1 no	1,00,000/-
3 <sup>rd</sup> Year	2 no of Hand Pump drill near bore well in gram panchayat area as per recommended by Gram Panchayat	1 No.	1,00,000/-
	Provide Stationary item for Higher Secondary school Barachh & Gram Panchayat Barachh	As per requirement	50,000/-
	<b>Total</b>		<b>7,00,000.00</b>

3. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  4. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
5. **Case No. – 7695/2020 M/s Vanshika Construction, Authorized Person, Shri Ramlal Jhariya, Deori Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487661 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 3.173 ha. (20760 cum per annum) (Khasra No. 64), Village - Lodhi, Tehsil - Gohparu, Dist. Shahdol, (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 64), Village - Lodhi, Tehsil - Gohparu, Dist. Shahdol, (MP) 3.173 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office (Ekal Praman-Patr) letter no. 2601 dated: 14/09/2020 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 462<sup>nd</sup> SEAC dated 30/09/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Shri Manish Rao Kadam Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad(Telangana). & PP Shri Ramlal Jhariya. PP stated that this is a case of river sand mining on Jhanpar River which is a tributary of Banas River . During presentation it was further observed by the committee that part of lease is submerged in water for which non mining zone shall be left for area which is under submergence. During presentation

- The mine lease of river sand mine on Chundi River is spread over an area of 3.173 ha in Village –Lodhi, Tehsil- Gohparu, Dist- Shahdol, State - Madhya Pradesh.
- The Letter of Intent for the lease has been granted to Project Proponent Vanshika Construction by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal vide letter no. kramank/ret/2020/506 Bhopal, dated - 28/01/2020 as per the provisions of M.P. State Sand Mining Policy – 2019.
- Mine Plan and Replenishment Study Plan has been approved by Collector, Shahdol, Madhya Pradesh vide letter no. Kramank 19/khanij/2020/2325 shahdol, Dated 13/08/2020 for a production capacity of 20,760 m<sup>3</sup> per year.
- Cluster Certificate and NOC from Forest Department has been obtained for site vide letter no.kramank-19/khanij/2020/2601 Shahdol, dated 14/09/2020.
- Opencast Semi-mechanized and manually method for mining by scrapping in 2.0 m layers and loading on trucks/dumper will be adopted. No drilling & blasting is needed as the project is for sand mining.
- The mine site is a non-agricultural government land. The minerals will be transported to specific destination through tarpaulin covered trucks/dumpers by the purchaser.

### Replenishment Capacity- Chundi River

- Chundi River is the river of the shahdol District and located at the Northern Central part Shahdol District . It is originates near village Bhadrwahi in the Shahdol District. It is flows east to west and meets Son River near village Bhamraha.
- The Chundi River which is 55 kilometres (22 mi) long. The catchment area of Chundi river is **532.12** km<sup>2</sup>.
- On the basis of the geology and formations like shale, varieties of sandstone and Conglomerate, the catchment area is much favorable to generate large quantity of sand.
- The Average rainfall of Shahdol district is **1131.4** mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.
- **Dandy Bolton Formula** has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may **vary 10-fold or even 100-fold computed yields.**

- On the basis of Dandy Bolton formula the Sediment Yield is **1310184 M. tons/Year.**
- Hence it is concluded that the annual production capacity (20,760 cum in 3.173 ha) which will be excavated at the QL area will be replenished easily during monsoon season.

### **Plantation**

Afforestation will be taken up in the along River Bank and Approach road of, Gram Panchayat Bhawan, Aanganbadi, School as per submitted scheme. After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

The EIA was presented by Shri manish Kadam & Ashish Gupta Env. Consl.- M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad (Telangana) on behalf of PP stated that this is a case of river sand mining on Chundi River. During presentation, PP submitted that monitoring was carried out during February to May, 20 as due to COVID-19 lockdown period scheduled monitoring of April, 20 could not be performed. During appraisal it was also observed by the committee that part of lease is submerged in water and another stream is joining the lease from the southern side thus setback / mandatory safety distance shall be left as per Monitoring and enforcement Guidelines for sand mining, 2020 published by MoEF&CC. During appraisal it was observed by the committee that adjoining land is having vegetation cover and shall not be used for sand evacuation for its protection. After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

1. PP commitment that water supply will be done through Panchayat after their approval.
2. Part of lease is submerged in water and another stream is joining the lease from the southern side thus setback / mandatory safety distance shall be left as per Monitoring and enforcement Guidelines for sand mining, 2020 published by MoEF&CC and revised surface plan shall be submitted.
3. Adjoining land is having vegetation cover and shall not be used for sand evacuation for its protection thus proposed sand evacuation route on Google map shall be approved by the competent district authority.
4. PP commitment that no mining will be carried out outside of allotted lease area as per the issue rose in public hearing.
5. Proposal for plantation on evacuation road where from evacuation of sand is proposed.

6. Revise plantation scheme & species with location –wise bifurcation as suggested by the committee.
7. EMP incorporating expenditure to be incurred on development sand evacuation route.
8. PP shall propose physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).

6. **Case No 8828/2021 M/s VDH Eco-Energy Enterprises Pvt. Ltd, Director Shri Yashvardhan Rajgadhia, 503, Jolly Bhavan No. 1, New Marine Line, Dist. Mumbai, Mah Prior Environment Clearance for Marble Quarry in an area of 7.310 ha. (22500 Cum per annum) (Khasra No. 692, 693, 692/826, 691, 687, 688, 695), Village - Nimas, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram .**

This is case of Marble Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 692, 693, 692/826, 691, 687, 688, 695), Village - Nimas, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) 7.310 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri Arvind Singh, M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram and Shri G. K. Mishra on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekle Praman-patra) letter No. 5121 dated 12/10/2021 has reported that there are 07 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total 27.978 ha., including this mine. During presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that within lease, few trees/ root stocks were observed PP shall submitted that management plan. PP further submitted that Baseline monitoring of this project area is being conducted in pre-monsoon & post- monsoon (is under way) in the year 2021.

During presentation committee observed that a kachha road is crossing/passing by the lease and thus necessary protection plan shall be provided in the EIA report along with the right of access. Committee further observed that water impoundment within the lease on the southern side thus its status shall be discussed in the EIA report. Being it's a case Marble Quarry with total area of 27.978 ha, including this mine and according to the latest O.M F.No. L-11011/175/2018/-IA-II (M) dated 12/12/2018 if a cluster or an individual lease exceeds 5 ha the EIA/EMP be made applicable in the process of grant

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/ 1132/2020/12/1

भोपाल, दिनांक-

आदेश :-

मध्य प्रदेश रेत (उत्खनन खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत की गई निविदा प्रक्रिया में जिला हेतु मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) को सफल निविदाकार घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नांकित रेत खदान मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) के पक्ष में अवधि दिनांक 30-6-2023 तक हेतु आवंटित की जाती है।

क्रमांक	जिला	तहसील	खदान का नाम	प्लस (मं)	क्षेत्र (हे0)
01	शहडोल	जयसिंधनगर	बसठ-1	2524	4.734

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक:- 16-7-2020

पृ0क्रमांक/ 3236 /1132/2020/12/1

प्रतिलिपि:-

- 1- सहायक सचिव, म0प्र0, पर्यावरण परिसर, भोपाल।
- 2- कलेक्टर, जिला शहडोल (म0प्र0)
- 3- कार्यपालक संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, पर्यावरण भवन, भोपाल।
- 4- संचालक, भौतिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 भोपाल।
- 5- मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

MS WORD/aaad\_mines/won/erl/HM/20/99

APPROVED  
अनुमोदित

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 19/खनिज/2020/ 2326  
प्रति,

शहडोल, दिनांक जुलाई, 2020  
(3-08-1020)

वंशिका कान्स्ट्रक्शन,  
अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया,  
देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विषय:- खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।  
सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 13.07.2020।

\*\*\*

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम बराछ तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल के खसरा क्रमांक 2524 रकबा 4.734 हेक्टर क्षेत्र में खनिज रेत की स्वीकृत खदान में रेत उत्खनन हेतु खनन योजना की दो प्रतियों अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त खनन योजना का अनुमोदन मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 12(1)(ग) में दिये गये प्रावधानों के तहत अनुमोदित किया जाता है।

*smr*

कलेक्टर,

जिला शहडोल म.प्र.

शहडोल, दिनांक जुलाई, 2020

पृ. क्रमांक 19/खनिज/2020/  
प्रतिलिपि:-

संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

*smr*

कलेक्टर, 11/08/2020

जिला शहडोल म.प्र.

VANSHIKA CONSTRUCTION

रामलाल

PARTNER

# MINING PLAN

SUBMITTED AS PER THE PROVISIONS OF RULE 12 (1) OF MADHYAPRADESH SAND  
(MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING) RULE, 2019

## BARACHH-1 RIVER SAND MINE

AREA - 4.734 Ha, KASHRA NO - 2524,  
VILLAGE - BARACHH, TEHSIL - JAISINGHNAGAR,  
DISTRICT - SHAHDOL (MADHYAPRADESH)

### APPLICANT


## VANSHIKA CONSTRUCTION

AUTHORISED PERSON - SHRI RAMLAL JHARIYA

ADDRESS - DEVRI RAJMARG,  
DISTRICT- NARSINGHPUR (M.P.)



TYPE AND CATEGORY OF MINE - OPEN CAST

  
PREPARED BY


NILESH LAXMANRAO MASKE  
RECOGNIZED QUALIFIED PERSON

## BHOOMI ENVIROTECH PVT. LTD.

E7/133, R.K.TOWER, LLR SOCIETY ARERA COLONY,

BHOPAL (MADHYA PRADESH) - 462039

E-mail - info,bhoomienvirotech@gmail.com, Phone No. 6232872151

VANSHIKA CONSTRUCTION  
  
PARTNER

7/10/2020

e-Khanij-Palm Mining Plan



Mineral Resources Department, Govt. Of Madhya Pradesh  
खनिज संचयन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

e-Khanij

### MINING PLAN FOR BARACHH-1 RIVER SAND MINE (QUARRY LEASE)

MPID : 30889  
MP SUBMISSION DATE : 10/07/2020  
SUBMITTED AT : Rewa  
VILLAGE : BARACHH 136 P.H.22 RAA.NI.2  
DISTRICT : SHAHDOL  
TEHSEL : JAYASINHANAGAR  
MINERAL : Sand  
KHASRA NO : 2524  
AREA : 4.7340 HECTARE

#### PROPOSED MINERAL PRODUCTION DETAILS.

PROPOSED PRODUCTION:

YEAR	FIN. YEAR	PROD. QTY.	UNIT
YEAR-1	2020-2021	23640	CUBIC METER
YEAR-2	2021-2022	23640	CUBIC METER
YEAR-3	2022-2023	23640	CUBIC METER
YEAR-4	2023-2024	0	CUBIC METER
YEAR-5	2024-2025	0	CUBIC METER
TOTAL PRODUCTION		70920	CUBIC METER

STATE : M.P.  
LEASE PERIOD : 3 Year  
SANCTION ORDER NO. : 506  
SANCTION ORDER DATE : 28/01/2020

SUBMITTED UNDER RULES 42 OF MPMMR, 1998 FOR APPROVAL OF QUARRY LEASE

#### LESSEE:

NAME: VANSHIKA CONSTRUCTION  
FATHER NAME: SHREE RAMLAL JHARIYA  
ADDRESS: DEVHI RAJMARG, DISTRICT NARSINGHPUR, MADHYAPRADESH  
DISTRICT: NARSINGHPUR

#### PREPARED BY:

RQP NAME : NILESH LAXMANKAO MASKE  
RQP ADDRESS : BHOOMI ENVIROTECH PVT, LTD, E-7/133, ILK, TOWER, ARERA COLONY, BHOPAL  
RQP REGISTRATION : RQP/DGMMP/206/2019  
VALID UP TO : 15/01/2024  
MOBILE NO : 9595773278

APPROVED  
अनुमोदित

VANSHIKA CONSTRUCTION

रामलाल  
PARTNER

**CONSENT LETTER**

The Mining Plan of Barachh-1 Sand Mine, Village Barachh has been prepared by Shri Nilesh Laxmanrao Maske, the RQP of Bhoomi Envirotech Pvt. Ltd., (RQP No RQP/DGMMP/206/2019) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Barachh, Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol, M.P. covering an area of 4.734 ha.

The Director Geology and Mining, Madhyapradesh /competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

**NILESH LAXMANRAO MASKE**  
**Recognized Qualified Person**  
**(RQP NO. RQP/DGMMP/206/2019)**  
**BHOOMI ENVIROTECH PVT. LTD.**  
**E7/133, R.K. Tower, LLR Society Arera Colony**  
**Bhopal (M.P.)**  
**E-mail - info.bhoomienvirotech@gmail.com**  
**Phone No. 6232872151**

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Shahdol

Date: 10/07/2020

**APPROVED**  
**अनुमोदित**

*Ramlal*  
 Applicant

Ramlal Jhariya  
 (Authorized Person)  
 Vanshika Construction

VANSHIKA CONSTRUCTION  
*Ramlal*

PARTNER

**CERTIFICATE FOR FULL CONSULTATION**

*This is to certify that the Mine Plan of Barachh-1 Sand Mine village Barachh of the applicant Vanshika Construction, Authorized Person - Ramlal Jhariya, located in village- Barachh, Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol of Madhya Pradesh State covering lease hold area 4.734 hectare has been prepared by Shri Nilesh Laxmanrao Maske, the RQP of Bhoomi Envirotech Pvt. Ltd., (RQP No RQP/DGMMP/206/2019), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.*

Place: Shahdol

Date: 10/07/2020

*Ramlal*  
Applicant

Ramlal Jhariya  
(Authorized Person)  
Vanshika Construction

**APPROVED**  
अनुमोदित

VANSHIKA CONSTRUCTION

*Ramlal*

PARTNER

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS**

- Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Mining Plan of Barachh-I Sand Mine village Barachh area of 4.734 hectare in village- Barachh, Tehsil - Jaisinghnagar, District- Shahdol of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant Vanshika Construction, Authorized Person - Ramlal Jhariya,
- Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.
- There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.
- The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.

Place- Bhopal

Date... 08/07/2020

*N. Maske*  
Nilesh Laxmanrao Maske

Bhoomi Envirotech Pvt. Ltd.

RQP No. - RQP/DGMMP/206/2019

**APPROVED**  
**अनुमोदित**

VANSHIKA Construction  
Ramlal Jhariya  
PARTNER

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

☎ - 07652-245167 ई-मेल- dfo@shahdol.nic.in

क्रमांक/मा.चि./2019/ 342

शहडोल/दिनांक 25/1/2019

प्रति,

✓ खनिज अधिकारी,  
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय :- रेत की खदान घोषित किये जाने के संबंध में जाग प्रतिवेदन गैरकानूनी खदान।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/19 /खनिज/रेत/2018/07 दिनांक 01.01.2019।

-00-

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत वासु, जमा 15/1/2019 जयसिंहनगर, जिला शहडोल म.प्र. के द्वारा ग्राम वराछ तहसील जयसिंहनगर के खरास क्रमांक 2514, खरास 4724 के शासकीय भूमि ज्ञापर नदी में खनिज रेत की खदान घोषित किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण की जांच उप वनमण्डलाधिकारी व्यौहारी के माध्यम से कराई गई है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी व्यौहारी के पत्र क्रमांक/107 दिनांक 16.01.2019 के प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र का क्षेत्र क्रमांक सी-213 के नुमरा क्रमांक-34 एवं 35 से 3.82 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, एवं विषया द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र क्रमांक 01 से 04 तक की जानकारी संलग्न है। यदि खसरे में छोटे बड़े झाड़, जंगल दर्ज है तो अनाधिकार न दिया जाये।

आवेदित क्षेत्र का जी.पी.एस. रीडिंग :-

1- 23° 57' 25.701" N	81° 26' 39.697" E
2- 23° 57' 27.801" N	81° 26' 41.306" E
3- 23° 57' 44.004" N	81° 26' 37.086" E
4- 23° 57' 43.149" N	81° 26' 31.332" E

संलग्न:- उगरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/मा.चि./  
प्रतिलिपि :-

1. जिला कलेक्टर शहडोल म.प्र.।
2. उप वनमण्डलाधिकारी व्यौहारी की ओर सूचनाार्थ।

वन मण्डलाधिकारी  
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)  
शहडोल/दिनांक.....2019

वनमण्डलाधिकारी  
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

APPROVED  
अनुमोदित

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/ 1132/2020/12/1

भोपाल, दिनांक:-

:- आदेश :-

मध्य प्रदेश रेत (उत्खनन खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत की गई निविदा प्रक्रिया में जिला हेतु मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) को सफल निविदाकार घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नांकित रेत खदान मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) के पक्ष में अवधि दिनांक 30-6-2023 तक हेतु आवंटित की जाती है।

क्रमांक	जिला	तहसील	खदान का नाम	खसरा नं0	रकबा (हे0)
01	शहडोल	जयसिंघनगर	बराछ-2	2126/1, 2490, 2491	8.000

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक:- 16-9-2020

पू0क्रमांक/3824/1132/2020/12/1

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म0प्र0, पर्यावरण परिसर, भोपाल।
- 2- कलेक्टर, जिला शहडोल (म0प्र0)
- 3- कार्यपालक संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल।
- 4- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 भोपाल।
- 5- मेसर्स/श्री वंशिका कंस्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

MS WORD/sand. mines transfer/LHM/ 20/100

APPROVED  
अनुमोदित

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 19/खनिज/2020/2329  
प्रति,

शहडोल, दिनांक जुलाई, 2020  
13-08-2020

वंशिका कान्स्ट्रक्शन,  
अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया,  
देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विषय:- खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र दिनांक 13.07.2020।

\*\*\*

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम बराछ तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल के खसरा क्रमांक 2126/1, 2490, 2491 कुल रकबा 8.000 हेक्टर क्षेत्र में खनिज रेत की स्वीकृत खदान में रेत उत्खनन हेतु खनन योजना की दो प्रतियों अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त खनन योजना का अनुमोदन मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 12(1)(ग) में दिये गये प्रावधानों के तहत अनुमोदित किया जाता है।

*Amul*  
कलेक्टर,

जिला शहडोल म.प्र.

शहडोल, दिनांक जुलाई, 2020

पु. क्रमांक 19/खनिज/2020/  
प्रतिलिपि:-

संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

*Amul*  
कलेक्टर, 11/08/2020

जिला शहडोल म.प्र.

VANSHIKA CONSTRUCTION  
रामलाल  
PARTNER

# MINING PLAN

SUBMITTED AS PER THE PROVISIONS OF RULE 12 (1) OF MADHYAPRADESH SAND  
(MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING) RULE, 2019

## BARACHH-2 RIVER SAND MINE

AREA - 8.000 Ha, KASHRA NO - 2126/1, 2490, 2491

VILLAGE - BARACHH, TAHSIL -- JAISINGHNAGAR,

DISTRICT - SHAHDOL (MADHYAPRADESH)

### APPLICANT

VANSHIKA CONSTRUCTION

AUTHORIZED PERSON - RAMLAL JHARIYA

DEVRI RAJARG, DISTRICT - NARSINGHGARH, MADHYAPRADESH



TYPE AND CATEGORY OF MINE - OPEN CAST

*N. Maske*  
PREPARED BY

NILESH LAXMANRAO MASKE

RECOGNIZED QUALIFIED PERSON

**BHOOMI ENVIROTECH PVT. LTD.**

E7/133, R.K.TOWER, LLR SOCIETY ARERA COLONY,

BHOPAL (MADHYA PRADESH) - 462039

E-mail - info.bhoomienvirotech@gmail.com, Phone No. 6232872151

VANSHIKA CONSTRUCTION

रामलाल

PARTNER

27/07/2020

e Quarry-Plan Mining Plan



Mineral Resources Department, Govt. Of Madhya Pradesh  
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

e-Khanij

**MINING PLAN FOR BARACHH-2 RIVER SAND MINE (QUARRY LEASE)**

MP ID : 30890  
MP SUBMISSION DATE : 10/07/2020  
SUBMITTED AT : Rewa  
VILLAGE : BARACHH 136 P.H.22 RAA.NI.2  
DISTRICT : SHAHDOL  
TEHSIL : JAYASINHANAGAR  
MINERAL : Sand  
KHASRA NO : 2126/1, 2409, 2491  
AREA : 8.0000 HECTARE

PROPOSED MINERAL PRODUCTION DETAILS

PROPOSED PRODUCTION:

YEAR	FIN. YEAR	PROD. QTY.	UNIT
YEAR-1	2020-2021	48000	CUBIC METER
YEAR-2	2021-2022	48000	CUBIC METER
YEAR-3	2022-2023	48000	CUBIC METER
YEAR-4	2023-2024	0	CUBIC METER
YEAR-5	2024-2025	0	CUBIC METER
TOTAL PRODUCTION		144000 CUBIC METER	

STATE : M.P.  
LEASE PERIOD : 3 Year  
SANCTION ORDER NO. : 506  
SANCTION ORDER DATE : 28/01/2020

SUBMITTED UNDER RULES 42 OF MPMHR,1996 FOR APPROVAL OF QUARRY LEASE

**LESSEE:**

NAME: VANSHIKA CONSTRUCTION  
FATHER NAME: SHREE RAMLAL JHARIYA  
ADDRESS: DEVRI RAJMARG, NARSINGHPUR, M.P.  
DISTRICT: NARSINGHPUR

**PREPARED BY:**

RQP NAME : NILESH LAXMANRAO MASKE  
RQP ADDRESS : BKROOMI ENVIROTECH PVT. LTD, E-7/133, R.K. TOWER, ARERA COLONY, BHOPAL  
RQP REGISTRATION : RQP/DBMMP/206/2019  
VALID UP TO : 15/01/2024  
MOBILE NO : 9595773278

**APPROVED**  
अनुमोदित

VANSHIKA CONSTRUCTION  
रामलाल  
PARTNER

**CONSENT LETTER**

*The Mining Plan of Barachh-2 Sand Mine, Village Barachh has been prepared by Shri Nilesh Laxmanrao Maske, the RQP of Bhoomi Envirotech Pvt. Ltd., (RQP No RQP/DGMMP/206/2019) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Barachh, Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol, M.P. covering an area of 8.00 ha.*

*The Director Geology and Mining, Madhyapradesh /competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-*

**NILESH LAXMANRAO MASKE**  
**Recognized Qualified Person**  
**(RQP NO. RQP/DGMMP/206/2019)**  
**BHOOMI ENVIROTECH PVT. LTD.**  
**E7/133, R.K. Tower, LLR Society Arera Colony**  
**Bhopal (M.P.)**  
**E-mail - info.bhoomienvirotech@gmail.com**  
**Phone No. 6232872151**

*An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.*

Place: Shahdol

Date:

**APPROVED**  
**अनुमोदित**

Applicant  
*(Handwritten Signature)*  
**Ram Lal Jhariya**  
**(Authorized Person)**  
**Vanshika Construction**


VANSHIKA CONSTRUCTION  
*(Handwritten Signature)*  
**PARTNER**

**CERTIFICATE FOR FULL CONSULTATION**

*This is to certify that the Mine Plan of Barachh-2 Sand Mine village Barachh of the applicant Vanshika Construction, Authorized Person - Ramlal Jhariya, located in village- Barachh, Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol of Madhya Pradesh State covering lease hold area 8.00 hectare has been prepared by Shri Nilesh Laxmanrao Maske, the RQP of Bhoomi Envirotech Pvt. Ltd., (RQP No RQP/DGMMP/206/2019), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.*

Place: Shahdol

Date:

~~Applicant~~  
  
 Ramlal Jhariya  
 (Authorized Person)  
 Vanshika Construction

**APPROVED**  
**अनुमोदित**


VANSHIKA CONSTRUCTION  
 रमल ल  
 PARTNER

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS**

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Mining Plan of Barachh-2 Sand Mine village Barachh area of 8.00 hectare in village- Barachh, Tehsil – Jaisinghnagar, District- Shahdol of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant Vanshika Construction, Authorized Person - Ramlal Jhariya,.*
- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*
- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*
- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place- Bhopal

Date.....

  
Nitesh Laxmanrao Maske

Ehoomi Envirotech Pvt. Ltd.

RQP No. - RQP/DGMMP/206/2019

**APPROVED**  
**अनुमोदित**

VANSHIKA CONSTRUCTION  
Ramlal Jhariya

PARTNER



# गायलिय ग्राम पंचायत बराछ

जनपद पंचायत-अयतिनगर, जिला-राहडोल (म.प्र.)

विमला कील  
सचिव



क्रमांक.....

दिनांक.....

03/08/80

सम्बन्धित विद्या भवन के ग्राम पंचायत बराछ के

रकसरा क्र. 016 ए 020/1 रकसरा 2267 एवं 3-434


रकसरा क्र. 42+3, 2526, 2116/1 एवं 2524 रकसरा 4-734  
हेडक्वार्टर के अंतर्गत रकसरा पर रेत उत्खनन को ठेका

श्री. करीका कल्याणदास देवी रामगंगा जिला-नरसिंहपुर को

दिया गया है। उक्त रकसरा पर ठेकेदार द्वारा रेत उत्खनन एवं

उत्खनन के लिए रकसरा को खोले जा चुके हैं।

*(Faint signatures and stamps at the bottom of the page)*



### VAKALATNAMA

{Rule 4(1) of the Rules framed under the Advocates Act, 1961}

### BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

Original Application No. 221 Of 2022

**IN THE MATTER OF:**

Petitioner

Vimal Kol & Ors

Versus

Respondents

State of M.P.

I/ We/ Appellant/ Claimant/ Petitioner or Defendant/ Respondent/ non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case / proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried / heard / proceeded with and also in the appellate, revisional or executing Court in respect of proceedings arising from this case / proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him / them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution / defence of the said case in all its stage and also agree to ratify and confirm acts done by him / them as if done by me / us.

In witness whereof I / we do hereunto set my / our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me / us, this.

#### Particulars (In block letters) of each party executing Vakalatnama

Name & Father's / Husband's Name	Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the Case	Full Signature / Thumb Impression
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sanjay Pandey S/D Shri B D Pandey, MP SEI AA, EPCO Building Arera Colony Bhopal			9229646434		

#### Particulars (In block letters) of each advocate Accepting Vakalatnama

S.N.	Names	Address for service & Email Add. (if any)	Telephone No. (if any)	Full Sign.
1.	Adv. Parul Bhadoria MP/1887/2012	609, UCI Lawyers Chambers, Arera Hills, Bhopal, M.P.	+91 8085977111	
2.				

\*Score out whichever is not applicable.